भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 Rs. COURT भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

Rs. 44

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म॰प्र॰ग्वालियर

प्र०क्र०   -दो/07 निगरानी

निग॰ 1201-II/07

1- रामकृपाल } पुत्रगण
2- रामभगवान } मेघनाथ वैश्य
3- मानप्रसाद }
निवासी-ग्राम सिद्धीखुर्द,तहसील सिंगरौली
जिला- सीधी {म॰प्र॰} ---- आवेदक॰

बनाम

1- रूपनारायन पुत्र ददई वैश्य
2- रामसिंह } पुत्रगण
3- रामदयाल } हेतराम वैश्य
4- कृष्णकमल पुत्र ठाकुरदास
निवासी- ग्राम सिद्धीखुर्द ,तहसील-सिंगरौ-
-ली, जिला-सीधी {म॰प्र॰}---- अनावेदक॰

श्री ओ॰ पी॰ सिंह ... द्वारा ... को प्रस्तुत। ...12/07

ओ॰ पी॰ सिंह
एडवोकेट
हा॰ई॰ कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा-50 म॰प्र॰ भू राजस्व संहिता- 1959 विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा जो प्र॰क्र॰ 267/06-07 निगरानी में दिनांक 10॰7॰2007 को पारित किया गया।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन निम्न प्रकार पेश है।

1- प्रकरण के तथ्य:

संक्षेप में इस प्रकार है कि, शासकीय भूमियां कि... 1॰97 हैक्टर पर आवेदकगण वर्ष 1981 के 10 वर्ष पूर्व से ... अनाधिकृत रूप से काबिज होकर, भूमि को धन और ... काबिज बनाकर काश्त करते आ रहे थे। विवादित भूमियां बगार अर्थात पड़त भूमि शासकीय रिकार्ड में दर्ज रही हैं।

-3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1201–दो/2007 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-07-2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 267/2006–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.07.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार, माड़ा के द्वारा म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) 1984 के तहत विवादित आराजी का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर बैढ़न के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। जहाँ पर निगरानी स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 22.01.2007 को पारित किया गया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त के यहाँ प्रकरण क्रमांक 267/2006–07/निगरानी, पंजीबद्ध किया गया तथा निगरानी आधारहीन मानते हुये अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2007 को निगरानी निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10.07.2007 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया	

कि, अपर आयुक्त रीवा तथा अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा किया गया आदेश विधि के विपरीत है । अपर कलेक्टर के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वह स्वयं में ही विरोधाभाषी है और बगैर कोई विवेचना किये अपर आयुक्त ने इस विरोधाभाषी आदेश की पुष्टि की है । बिना किसी समुचित आधार, प्रमाण या जॉच के अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार, पटवारी, सरपंच, आवेदकगण सभी को षड्यंत्रकारी व बेईमानी ठहरा दिया । अगर ऐसा था तो सभी के खिलाफ जांच संचालित कराने के लिये अपर कलेक्टर स्वयं सक्षम थे । उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर ने विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के आवश्यक रूप से पालनीय उपबन्धों को पढ़ा व समझा नहीं गया और अधिकारिता रहित आदेश पारित किये गये है । कलेक्टर द्वारा 9 वर्ष बाद किस कानूनी अधिकार के तहत निगरानी स्वीकार करके व्यवस्थापन निरस्त किया गया तथा रिकार्ड के खिलाफ जंगल दर्ज लिखा गया है। विधि के उपबन्ध एक दूसरे के साथ सामजस्य में अर्थ लगाया जाना होता है । विशिष्ठ उपबन्ध साधारण उपबन्धों के लागू होने से उपवर्जित करते हुये ग्रहण किया जाना होता है । किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने प्रथम आदेश पात्रिका दिनांक 30.09.96 को प्रारंभ की । जिस पर उद्घोषणा जारी करने पटवारी प्रतिवेदन व ग्राम पंचायत की राय लेने हेतु आदेशित किया गया तथा पेशी दिनांक 24.10.96 नियत की गई और दिनांक 24.10.96 के पश्चात पेशी दिनांक 29.11.96 नियत की गई । लेकिन दिनांक 29.11.96 को प्रकरण नहीं लिया गया तथा दिनांक 07.09.98 को प्ररकण पुनः लेकर पटवारी प्रतिवेदन हेतु निर्धारित किया गया और पेशी दिनांक 20.10.98 नियत की। पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 20.10.98 को प्राप्त और दिनांक 05.11.98 को आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.11.96 के पश्चात दिनांक 07.09.98 तक प्रकरण में क्या कार्यवाही होती रही, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तथा दिनांक 7.9.98 पेशी किस तरह नियत की गयी। यह भी स्पष्ट नहीं है । प्रकरण में जो इश्तहार संलग्न है कब जारी किया गया कोई तिथि अंकित नहीं । यहां तक कि आवेदक के साक्ष्य में भी कोई तिथि नहीं लिखी है । चूँकि प्रकरण में न तो जारी इश्तहार में तिथि अंकित और न ही आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में तिथि अंकित है। ऐसे में प्रकरण शंकास्पद प्रतीत होता है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पूरी कार्यवाही एक सुनियोजित तरीके से विधि के अंतर्गत या मंशा के अनुरूप नहीं की गयी है । अपर कलेक्टर बैढ़न ने भी अपने निर्णय में इस बात की पुष्टि की है कि स्थल टीप, ग्राम पंचायत कमेटी की विधिसम्मत तरीके से नहीं

ली गयी है । वह उचित है तथा विवादित आराजी खसरे में बगार, पहाड़ी, जंगल अंकित है। इसलिये इनका व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है । मेरे मतानुसार अपर कलेक्टर बैढ़न ने विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने आदेश में अपर कलेक्टर बैढ़न के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखकर उक्त आदेश की पुष्टि की है । मैं अपर आयुक्त रीवा के इस निर्णय से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन है अर्थात् इस निगरानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है । अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2007 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है और अस्तित्वहीन निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य